

प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस , दिनांक 11.11. 2011
के अनुसार वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित घाटमपुर-आगरा 765 kV S/C
ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में गैर वानिकी उपयोग के लिए प्रस्तावित 0.1280 है. वन भूमि के अतिरिक्त
कोई अन्य चिह्नित वनस्वरूप क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

✓
Divisional Forest Officer
प्रभागिय वनाधिकारी
Auraiya Forest Division
औरिया वन प्रभाग-औरिया
Auraiya